इस पद्धति द्वारा निविदित प्रत्येक वित्तीय वर्ष की निविदाओं का लेखा जोखा रखना सरल हो जायेगा। हर वित्तीय वर्ष में निविदित निविदाओं की जानकारी उपलब्ध कराने में भी समय की बचत होंगी।

4. इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपस्कर:

4.1 कम्प्यूटर सिस्टम अद्यतन वर्जन एण्टी वायरस के साथ।

4.2 इन्टरनेट एक्सपलोरर वर्जन 7.0 या उससे उपर का

4.3 नियमबद्ध वैध डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र C.C.A. India द्वारा प्रमाणित।

4.4 ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन के साथ

4.5 प्रिंटर

4.6 यू0पी0एस0

5. उपयोग से पूर्व की व्यवस्था :

5.1 ब्रॉडबैंड इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध होना चाहिए।

5.2 इसका उपयोग करने वाले को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वे DSC Software का उपयोग कर सकें।

5.3 जब सिस्टम कार्य करना प्रारंभ करे तो DSC को यू0एस0बी0 पोर्ट से जोड़ा जाना चाहिए।

5.4 DSC Driver को Resource C.D. से स्थापित किया जायेगा।

5.5 J.R.E. 1.6 को स्थापित किया जायेगा।

5.6 बेवसाईट पर डाले गये अभ्यावेदन को पता करने हेतु उपयोगकर्त्ता/निविदादाता को निबंधित होना चाहिए।

6. डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र और डिजिटल इन्क्रीप्शन:

निविदादाता को निविदा डालने से पहले हस्तलिखित हस्ताक्षर के स्थान पर डिजिटल सिग्नेचर स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि वे इन्टरनेट के माध्यम से निविदा डाल सकें जिससे वे असहमत न हो सकेंगे कि भेजा हुआ अभिलेख उनका नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल समतुल्य हस्तलिख्ति हस्ताक्षर होता है जिसके साथ अतिरिक्त किसी प्रकार की सूचना एवं अभिलेख से संबंधित इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जुड़ा रहता है। डिजिटल सिग्नेचर यह भी आश्वस्त करता है कि जो अभिलेख डिजिटली हस्ताक्षर कर समर्पित किये जाते है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र सामान्यतया एक से दो वर्षो के लिए वैध रहता है। इसके बाद इसकी नवीकरण की आवश्यकता होती है। डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र एक तरीका है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की सत्यता की जॉच करती है तथा यह धीरे–धीरे संचिकाओं तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

आई0टी0एक्ट ने डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र को स्वहस्तलिखित हस्ताक्षर के समतुल्य मान्यता प्रदान की है। सूचना प्रावैधिकी एक्ट 2000 Acmetric Cripto System के आधार पर आधारित डिजिटल सिग्नेचर को आवश्यक वैधिक मान्यता प्रदान की है। इसलिए डिजिटल सिग्नेचर के आधार पर समर्पित अभिलेख को स्वहस्तलिखित हस्ताक्षर प्राप्त अभिलेख की तरह ही मान्य समझा जाता है।

डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण–पत्र के साथ काम करने के लिए निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता हैः–

6.1 इस पद्धति के आधार पर काम करने के लिए सभी प्रयोक्ता को श्रेणी–।। या श्रेणी–।।। का इलेक्ट्रॉनिक टोकन (संकेत) पर आधारित डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी।

6.2 प्राईवेट –की के साथ इन्क्रीप्टेड (भारित) डाटा को उसी प्राईवेट–की से उपयोग कर खोला/या देखा जा सकता है। कोई दूसरा बिना उसके प्राईवेट–की के नहीं खोल सकता है।

6.3 निविदा के महत्वपूर्ण अभिलेखों के आधार पर निविदा निष्पादन के लिए विभागीय पदाधिकारियों को भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट NICCA से प्राप्त करना होगा।

6.4 विभागीय पदाधिकारियों को DSC प्राप्त करने हेतु DSC के अभ्यावेदन को स्वहस्ताक्षर के साथ विभागीय कार्यालय प्रधान से प्रतिहस्ताक्षर कराकर राज्य के इन्फोरमेटिक्स पदाधिकारी, NIC. बिहार राज्य केन्द्र को उसके लिए वर्तमान में निर्धारित उपयुक्त राशि Rs. 716.00 (Seven Hundred Sixteen) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो "Accounts Officer " के नाम से नई दिल्ली में भुगतान योग्य हो उपलब्ध कराना होगा।

6.5 NICCA की प्रबंधन की प्रक्रिया उनके बेवसाईट http://nicca.nic.in/. पर उपलब्ध है।

6.6 किसी खास निविदा की प्रक्रिया में अगर कोई प्राधिकृत प्रयोक्ता अपना DSC खो देता है तो वह उस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं रह पायेगा। इसलिए प्राधिकृत प्रयोक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे DSC को अपने उचित सुरक्षा में सुरक्षित रखे।

7. विभागीय प्रयोक्ता का सृजन एवं भूमिका आधारित प्रवेशः

7.1 प्रयोक्ता या प्रयोक्ता के समूह को दिये गये अधिकार के आधार पर वे वेबसाईट में प्रवेश पा सकते हैं किन्तु उसमें उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को चाहने पर भी छेड़–छाड़ नहीं कर सकते हैं।

7.2 विभागीय प्रयोक्ता के लिए इस पद्धति में ऑनलाईन निबंधन कर्मांकित करने की आवश्यकता नहीं है। विभागीय प्रयोक्ता विभागीय नोडल पदाधिकारी द्वारा सृजित किये जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य सौंपे जाते है। विभागीय प्रयोक्ता के अधिकार एवं कार्य की सूची निम्न हैं:–

क्रमांक	अधिकार	कार्य
1.	अधिप्राप्ति अधिकारी प्रशासन	ऑन लाईन नया निविदा या शुद्धि पत्र सृजित करना।
2.	अधिप्राप्ति अधिकारी प्रकाशन	ऑन लाईन निविदा अथवा शुद्धिपत्र प्रकाशित करना
3.	अधिप्राप्ति अधिकारी निविदा खोलनेवाला	ऑन लाईन बिड खोलने की प्रक्रिया पूरा करना
4.	अधिप्राप्ति अधिकारी मूल्यांकन	Award of contract के लिए विस्तृत बिड मूल्यांकन को ऑनलाईन भारित करना
5.	अंकेक्षक	निविदा के कार्यक्रमों को ऑनलाईन अंकेक्षित करना।